न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 13/2023

अनवान : –

1. प्रेमदान पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखसर तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **असल अप्रार्थी**

2. गगनदीप पुत्र अमनदीप पुत्र नोदान मान जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र नोदान मान जाति जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

– **तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय   **दिनांक:** 03/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 256 की कुल 21.512 हैक्ट भूमि मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उपरोक्त भूमि का सायल ने अपनी सहमति से श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर से दिनांक 29.12.2004 को खाता विभाजन करवाया जो की सही था लेकिन उक्त खाता विभाजन की तरमीम दर्ज करते समय गलत दर्ज हो गयी तथा उसी प्रकार से विभाजन में नजरिया नक्शा के आधार पर खाता विभाजन किया गया था। सायल उक्त खाता विभाजन की तरमीम दुरूस्त करवाकर मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा निवेदन किया की वह राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विभाजन नजरीया नक्शा के आधार पर तरमीम दुरूस्त कर देवे परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कि गई कि रोही मौजा लाखसर के मुल खसरा न0 233 व 242 के सहमति खाता विभाजन के पश्चात पटवार मण्डल के कपड़े वाले नक्शें में बने नवीन खसरा न0 क्रमश 233/4 व 242/1 की तरमीम गलत दर्ज हुई है तथा ऑनलाईन सेग्रीगेशन नक्शे में खसरा न0 233/4, 233/5, 242/1, 242/2 की तरमीम गलत दर्ज हुई है उक्त तरमीमें खाता विभाजन के नक्शें अनुसार सही किया जाना उचित है। तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क अंकित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौ[illegible] नोहर के खाता संख्या [illegible] की कुल 21.512 हैक्ट भूमि मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उपरोक्त भूमि का सायल ने अपनी सहमति से श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर से दिनांक 29.12.2004 को खाता विभाजन करवाया जो की सही था लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त खाता विभाजन की तरमीम दर्ज करते समय गलत दर्ज हो गयी तथा उसी प्रकार से विभाजन में नजरिया नक्शा के आधार पर खाता विभाजन किया गया था। सायल उक्त खाता विभाजन की तरमीम दुरूस्त करवाकर मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 239/231 की कुल 3.5410 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं तरतीबी प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 256 की कुल 21.512 हैक्ट भूमि मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उपरोक्त भूमि का सायल ने अपनी सहमति से श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर से दिनांक 29.12.2004 को खाता विभाजन करवाया जो की सही था लेकिन उक्त खाता विभाजन की तरमीम दर्ज करते समय गलत दर्ज हो गयी तथा उसी प्रकार से विभाजन में नजरिया नक्शा के आधार पर खाता विभाजन किया गया था। सायल उक्त खाता विभाजन की तरमीम दुरूस्त करवाकर मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश फरमावे। पत्रावली के संलग्न नजरीय नक्शा व ऑनलाईन नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तरमीम मुताबिक नजरिया नक्शा नही हुई है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा भी रोही मौजा लाखसर के मुल खसरा न0 233 व 242 के सहमति खाता विभाजन के पश्चात पटवार मण्डल के कपड़े वाले नक्शें में बने नवीन खसरा न0 क्रमश 233/4 व 242/1 की तरमीम गलत दर्ज हुई है तथा ऑनलाईन सेग्रीगेशन नक्शे में खसरा न0 233/4, 233/5, 242/1, 242/2 की तरमीम गलत दर्ज हुई है उक्त तरमीमें खाता विभाजन के नक्शें अनुसार सही किया जाने की अनुशंषा की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 239/231 की कुल 3.5410 हैक्ट भूमि का मुताबिक विभाजन नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है। विभाजन नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पालना हेतु तहसीलदार नोहर के पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 3/01/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested